आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......06..../17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.2.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार (पतरघट ओ0पी0) थाना कांड संख्या–220/17 दिनांक–13.05.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पतरघट ओप0पी0 अन्तर्गत स0अ0नि0 विजय कुमार राम पुलिस जीप, सशस्त्रबल के साथ संध्या गश्ती से लौटने के क्रम में जैसे ही पतरघट बातार में पहुँचे कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मोटर साईकिल के डिक्की में देशी (चुलाई गई) शराब घरेलू बाजार में बिक्री की जा रही है। इस की सूचना पर सत्यापन में रात्री के करीब 09 बजे जैसे ही अस्पताल रोड में पहुँचे कि देखा गया कि एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्डर जिसका पंजीयन संख्या– BR-43H-6708 छोड़कर भागने लगा जिसको पुलिस बल के द्वारा खदेरा गया तो वह अन्धेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। इसके बाद उक्त मोटर साईकिल के डिक्की को चेक किया गया तो काला पोलोथिन में 10 पीस 200 एम0एल0 का करीब 02 लीटर देशी शराब बरामद की गयी, तथा विधिवत जप्ती सूची तैयार कर कार्रवाई हेतु स0अ0नि0 विजय कुमार राम के द्वारा लिखित प्रतिवेदन के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया। उक्त देशी शराब और मोटर साईकिल को अभिरक्षा में लेकर फरार अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद	

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सहरसा

11.2.18

को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 से अवैध देशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 से शराब का कारोवार किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 के मालिक राजीव कुमार है, जो एक सामाजिक, शान्तिप्रिय वो कानून पसंद व्यकित है तथा पतरघट चौक बाजार से अस्पताल की ओर जाने वाली पक्की सड़क के बगल में अपनी मनिहारा (सिन्दूर, टिकली वगैरह) की दूकान है। जिसे दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। किसी अनैतिक वो गैरकानूनी कार्य में संलिप्त नहीं रहा है। उक्त वाहन पक्की सड़क के किनारे खड़ा था वो अपने दुकान के अन्दर ग्राहक की सेवा में था। जप्त मोटर साईकिल की डिक्की का ताला खराब है वा किसी ने जान बूझकर दुश्मनी साधने के नियत से जान बूझकर डिक्की में रखकर फँसाने का काम किया गया है वो स्थानीय पुलिस द्वारा बिना सत्यापन के ही प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया वो मोटर साईकिल को जप्त कर थाना ले जाया गया जबकि मैं अपनी दुकान में ही था। जब दुकान बन्द कर बाहर निकला तो अपनी मोटर साईकिल गायब पाया तो अगल बगल के लोगों से पता किया जो कोई पता नहीं चला तो पतरघट ओ0पी0 गया शिकायत दर्ज कराने तो वहां मालूम हुआ कि मोटर साईकिल ओ0पी0 पर ही रखा है तथा मेरे विरूद्ध झूठा केश दर्ज हो गया है तब लाचार वहां से लौट आया। कानून का उल्लंघन नहीं किया है और न ही उक्त गाड़ी का दुयपयोग ही किया है। माननीय न्यायालय के हर आदेश वो शर्त्तो को मानने के लिए तैयार है। जब भी माननीय न्यायालय में उक्त मोटर साईकिल उपस्थापित करने का आदेश होगा उपस्थित करेगें। उक्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 से देशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध शराब के कारोवार में संलिप्त है।

इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन मोटर साईकिल से शराब पाया जाना दण्डनीय

11.2.18

	अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन मोटर साईकिल का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43H-6708 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। **इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।** 11.7.17 समाहर्त्ता, सहरसा। 11.7.17 समाहर्त्ता, सहरसा।	

समाहरणालय सरहसा

(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1098-2 / विधि, दिनांक 25-7-2017

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।
25.07.017

90